न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– इन्द्र सिंह राव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या– 17 / 2016

बउनवान

श्यामसुन्दर मेवाडा पुत्र श्री औकार जाति–कलाल आयु 27 वर्ष निवासी–बडा गॉव धनेश्वर, उप तहसील–ढ़ाबी, तहसील–तालेडा जिला–बून्दी राजस्थान हाल निवासी ग्राम–धाकडखेडी तहसील–अन्ता जिला–बारां **(अपीलांट)**

बनाम

1– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता **(रेस्पोंडेंट)**

अपील विरूद्व तहसीलदार,अन्ता द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.2016 ग्राम धाकडखेडी तह. अन्ता अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री कृष्णकान्त शर्मा, अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. पेरोकार सरकार **(रेस्पोंडेंट)**

निर्णय दिनांक– 24.01.2019

1– अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के वसयती आदेश दिनांक 26.02.2016 से अप्रसन्न होकर अपील अन्तर्गत धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि ग्राम धाकडखेडी पटवार हल्का बमूलिया माताजी तहसील अन्ता में अपीलांट के नाना स्व0 श्री जगन्नाथ जी के खातेदारी की आराजी [illegible] नया 56 व पुराना 52 की आराजी ख0नं0 259 रकबा 1.09 है0 [illegible] आराजी स्व. जगन्नाथजी को आवंटन हुई थी, पैतृक आराजी न[illegible] खातेदार जगन्नाथ जी के चार पुत्रियॉ थी, उसके कोई पुत्र [illegible] जगन्नाथ जी द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी बडी पुत्री शांतिबा[illegible] को अपनी सेवा सुश्रेषा के लिये अपने पास रख लिया था। तभी [illegible] देखभाल व आराजी काश्त करता आ रहा है। श्री जगन्नाथजी ने उनकी सेवा से प्रसन्न होकर श्यामसुन्दर पुत्र औकार के पक्ष में दिनांक 28.08.2014 को वसीयत आलेखित की गयी। अपीलांट ने नाना की मृत्यु दिनांक 05.11.2015 [illegible] पश्चात् जगन्नाथजी का सारा क्रियाकर्म का कार्य किया। इसके बाद [illegible] पर तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को [illegible]ने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया जिसपर तहसीलदार, अन्ता [illegible]लिया माताजी से वसीयत के संदर्भ में जॉच रिपोर्ट ली गयी। पटवारी द्वारा दिनांक 16.02.2016 को तहसीलदार, अन्ता को रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि प्रार्थी वसीयतनामा के आधार पर सम्पत्ति का वैधानिक वारिस है। परन्तु [illegible] द्वारा दिनांक 08.01.2016 को फौती नामान्तकरण के प्रार्थनापत्र पेश करने पर, नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 05.02.2016 को नामान्तकरण दर्ज कर दिया है।

2– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के सिद्धान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला कलक्टर बारां (राज0)

किया कि अपीलांट के नाना स्व0 श्री जगन्नाथजी ने अपीलांट के पक्ष में जो वसीयत दिनांक 28.08.2014 को आलेखित की है उस वसीयत की जॉच कराये बिना हीं पटवार हल्का बमूलिया माताजी के रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थनापत्र खारिज कर दिया है जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह ध्यान नहीं दिया कि अपीलांट द्वारा वसीयती प्रार्थनापत्र दिनांक 22.01.2016 को पेश व मार्क कर दिया तो दिनांक 10.2.2016 को पटवारी हल्का बमूलिया माताजी को विलम्ब से भेजा है, जो उन्हे दिनांक 12.02.2016 को सायः 5.30 पी0एम0 पर प्राप्त हुआ है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थनापत्र पर सहीं समय पर कार्यवाहीं नहीं करके, अपीलांट के पूर्व हीं स्व0 जगन्नाथजी के की चारो पुत्रियों के नाम इन्तकाल तस्दीक कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज योग्य है।

साथ हीं कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयती आवेदन को पटवारी को जॉच हेतु दिनांक 12.2.2016 को भेजने पर, अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.02.2016 को शाम 5.30 पी0एम0 पर प्राप्त हुई है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय के अनुसार वसीयत का प्रार्थनापत्र जॉच हेतु दिनांक 12.02.2016 को 3.00 पीएम पर प्राप्त होना बताया है। इस प्रकार पटवारी की रिपोर्ट में व अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में लिखित समय अलग–अलग होने से विरोधाभास पैदा करता है। इससे जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा अपीलांट के प्रार्थनापत्र पर सहीं समय पर कार्यवाहीं नहीं की गई है। जबकि प्रार्थनापत्र दिनांक 22.01.2016 को दे दिया गया था। अधीनस्थ न्यायालय को अपीलांट के वसीयती प्रार्थनापत्र पर उन व्यक्तियों को तलब करना चाहिये था जिनके नाम नामान्तकरण खोला गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें एवं वसीयतनामा के आधार पर अपीलांट के पक्ष में इन्तकाल खोलने के आदेश पारित किये जावे।

3– इसपर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पोडेंट पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

4– बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम धाकडखेडी तहसील अन्ता में अपीलांट के नाना श्री जगन्नाथजी के खाते में आराजी ख0नं0 259 रकबा 1.09 है0 भूमि अवस्थित है, जो आवंटित भूमि होने से स्वअर्जित भूमि की श्रेणी में आती है। खातेदार श्री जगन्नाथजी के चार जायन्दा पुत्रियॉ थी, उनके कोई पुत्र नहीं होने से उन्होने अपने जीवनकाल में पुत्री शांतिबाई के पुत्र श्यामसुन्दर अपीलांट को अपने पास रख लिया था। तभी से उसकी सेवा, देखभाल व कृषि भूमि की काश्त संबंधी कार्य अपीलांट द्वारा हीं किये गये है। श्री जगन्नाथजी ने उनकी सेवा सुश्रेषा से प्रसन्न होकर, दिनांक 28.08.2014 को अपीलांट के पक्ष में वसीयत तहरीर की गयी थी। जगन्नाथजी की मृत्यु दिनांक 05.11.2015 को होने पर, अपीलांट ने वसीयत के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया। किन्तु उस प्रार्थनापत्र पर समय पर कोई कार्यवाहीं नहीं की गयी। इसी बीच अधीनस्थ न्यायालय में वारिसान् द्वारा फौती

जिला कलक्टर बारां (राज०)

इन्तकाल का प्रार्थनापत्र दिनांक 08.01.2016 को पेश करने पर, दिनांक 05.02.2016 को फौती इन्तकाल दर्ज कर दिया। जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के वसीयती प्रार्थनापत्र दिनांक 22.01.2016 को पीठासीन अधिकारी ने मार्क कर, हल्का पटवारी बमूलिया माताजी से रिपोर्ट लेने के आदेश दिये गये थे। जिसकी पालना में संबंधित कर्मचारी द्वारा दिनांक 10.2.2016 को 18 दिन बाद प्रार्थनापत्र को जॉच हेतु पटवार हल्का बमूलिया माताजी को भेजा, जिसके द्वारा दिनांक 16.02.2016 को तहसीलदार अन्ता को रिपोर्ट पेश की गयी। इस प्रकार स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा अपीलांट का वसीयती प्रार्थनापत्र जेरकार होने की जानकारी व लंबित होने के बावजूद अपीलांट के प्रार्थनापत्र के निस्तारण से पूर्व हीं जानबूझ पर फौती इन्तकाल के प्रार्थनापत्र पर नामान्तकरण संख्या 517 दिनांक 05.2.2016 तस्दीक कर दिया है। जबकि अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित पक्षकारान् के प्रार्थनापत्रों का निस्तारण, दोनो पक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर एवं साक्ष्य शहादत लेकर करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने जानबूझ पर वसीयती प्रार्थनापत्र को नजरअन्दाज पर फौती इन्तकाल तस्दीक किया है जिससे अपीलांट के हक प्रभावित हुए है। अपीलांट वसीयती उत्तराधिकारी है जो वर्णित आराजी को पाने का एकमात्र अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता तस्दीकी इन्तकाल नं0 517 दिनांक 05.02.2016 एवं आदेश दिनांक 26.02.2016 को निरस्त किया जाकर, अपीलांट के पक्ष में वसीयती इन्तकाल दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जावे।

5— इसके विपरीत विद्वान पेरोकार सरकार ने अपीलांट अभिभाषक के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष मृतक जगन्नाथ पुत्र रामनाथ जाति–कलाल का फौती इन्तकाल दर्ज करने बाबत प्रार्थनापत्र पेश होने पर दिनांक 05.02.2016 को जायन्दा वारिसान् के नाम विधिवत फौती इन्तकाल तस्दीक किया गया है। अपीलांट का वसीयती प्रार्थनापत्र विलम्ब से दिनांक 10.2.2016 को प्राप्त हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय ने वारिसान् के नाम इन्तकाल दर्ज किया है। वसीयत दिनांक 28.08.2014 अनरजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड वसीयत के आधार पर किसी भी व्यक्ति के अधिकार तय नहीं किये जा सकते है। चूकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित था कि वारिसान् द्वारा फौती इन्तकाल का प्रार्थनापत्र पेश किया गया है, इसी आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विरासतन इन्तकाल को सहीं मानकर उक्त आदेश पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय में कोई त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज फरमायी जावे।

6— हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड व दस्तावेजात् का आद्योपांत अवलोकन किया जिससे पाया जाता है कि विवादित आराजी ख0नं0 259 रकबा 1.09 है0 मृतक श्री जगन्नाथ पुत्र रामनाथ जाति–कलाल नि. धाकडखेडी के खातेदारी की भूमि है जिसका अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार अन्ता द्वारा विरासतन फौती इन्तकाल दर्ज किया गया है। अपील में बहस के दौरान अभिभाषक अपीलांट का मुख्य तर्क रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा मृतक जगन्नाथजी की मृत्यु पर वसीयती प्रार्थनापत्र दिनांक 22.01.2016 को पेश करने के उपरान्त भी अपीलांट की सुनवाई किये बिना हीं, जगन्नाथजी के वारिसान् के नाम विरासतन इन्तकाल दिनांक 05.02.2016 को दर्ज कर दिया। जबकि

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

अपीलांट वसीयती पुत्र होने से विधिवत सुनवाई कर, वसीयत के आधार पर आदेश पारित करना चाहिये था। इस परिपेक्ष्य में पत्रावली का विधिक अवलोकन करने से पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के समक्ष दिनांक 22.01.2016 को अपीलांट ने वसीयत के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया है। इसी प्रकार वारिसान् द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 08.01.2016 को विरासतन नामान्तकरण दर्ज करने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 05.02.2016 को इन्तकाल संख्या 517 दर्ज किया गया है। जबकि तत्समय तक अपीलांट के वसीयती प्रार्थनापत्र पर कोई विधिक निर्णय व आदेश नहीं किया गया।

7-- अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वसीयती प्रार्थनापत्र को दिनांक 26.2.2016 को इस आधार पर खारिज किया गया है कि वारिसान के नाम दिनांक 05.02.2016 को फौती इन्तकाल दर्ज किया जा चुका है। अपीलांट का प्रार्थनापत्र विलम्ब से प्राप्त हुआ है इसलिये फौती इन्तकाल दर्ज होने के उपरान्त वसीयत के सदंर्भ में कोई निर्णय लेना उचित नहीं समझते है। अधीनस्थ न्यायालय का उक्त आदेश उचित प्रतीत नहीं होता है। क्योकि अपीलांट के पक्ष में मृतक जगन्नाथजी ने दिनांक 28.08.2014 को अनरजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की गयी है। अपीलांट ने वसीयती उत्ताधिकारी होने से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इन्तकाल दर्ज कराने हेतु प्रार्थनापत्र भी पेश किया गया है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय को चाहिये था कि यदि अपीलांट वसीयती पुत्र होने का दावा करते है तथा अनरजिस्टर्ड वसीयत है तो प्रभावित पक्षकारान् की विधिवत सुनवाई कर, साक्ष्य सबूत लेकर, वसीयत को सिद्ध करने के उपरान्त ही वसीयत सहीं है या नहीं। तदुपरान्त हीं विधिसम्मत आदेश पारित करना चाहिये था। अधीनस्थ न्यायालय ने वसीयत पर कोई सुनवाई नहीं कर, विधिक त्रुटि की है। न्याय की मंशानुसार यदि उक्त वसीयत सहीं है तो उत्तराधिकारी को उसके अधिकार मिलना चाहिये। इसलिये हस्तगत प्रकरण में पुनः विधिक जॉच कर आदेश पारित करने हेतु पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता को प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

8-- परिणामस्वरूप, अपीलांट की [illegible] स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता [illegible] संख्या 517 दिनांक 05.02.2016 एवं वसीयती आदेश दिनांक [illegible] जाकर, पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता को [illegible] प्रतिप्रेषित की जाती है कि मृतक जगन्नाथ पुत्र रामनाथ जाति [illegible] द्वारा अपीलांट के पक्ष में निष्पादित अनरजिस्टर्ड वसीयत दिनांक [illegible] एवं मृतक जगन्नाथ के जायन्दा वारिसान् की विधिवत सुनवाई व साक्ष्य [illegible], वसीयत की जॉच एवं साक्ष्य के आधार पर वैधानिक वारिस के नाम इन्तकाल [illegible] किया जावे। अपीलांट को पाबन्द किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय [illegible] दिनांक 11.02.2019 को उपस्थित होवे।

निर्णय आज दिनांक 24.[illegible] लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र सिंह राव)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज.)

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official